

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 174\*  
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता

\*174. डॉ. राजीव भारद्वाज़:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कितनी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और उनका व्यौरा क्या है; और
- (ख) उक्त परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को आवंटित धनराशि का जिलावार व्यौरा क्या है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 174\* के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) द्वारा कोई परियोजना वित्तपोषित नहीं की गई है।

बजटीय आवंटन के माध्यम से 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

घटक	स्वीकृत		
	सङ्क कार्यों की संख्या	सङ्क लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्यास
पीएमजीएसवाई-III	256	2,683	22

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रमांक.	जिलों का नाम	स्वीकृत		
		सङ्क कार्यों की संख्या	सङ्क लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्याः
1	बिलासपुर	19	185	0
2	चंबा	17	167	1
3	हमीरपुर	21	178	0
4	कांगड़ा	55	502	5
5	कुल्लू	10	103	1
6	लाहौल और स्पीति	7	64	0
7	मंडी	23	322	0
8	शिमला	46	549	0
9	सिरमौर	12	163	0
10	सोलन	25	291	4
11	ऊना	19	159	11
कुल		254	2,683	22

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। राज्य सरकारें प्राप्त धनराशि को अपने राज्यांश के साथ जिलों को आवंटित करती हैं।

\*\*\*\*